(9) 438/c

आवंटन नियमावली

विपणन समिति, आजादपुर द्वारा पारित संकल्प संख्या–ई.एम/190/2015 के द्वारा निम्नलिखित आवंटन नियमावली निर्धारित की गई, जिसके आधार पर ए.पी.एम. सी. आजादपुर के लाईसेंसधारियों को नीलामी स्थल का आबंटन किए जाने की संस्तुति की जानी है।

1. सर्वप्रथम विभिन्न फलों एवं सब्जियों के लिए नीलामी स्थल के क्षेत्रफल का निर्धारण संबंधित फलों एवं सब्जियों के आवक के अनुपातिक के आधार पर किया जाएगा, जो सीजन के शुरूआत से अंत तक आवक के अनुसार घटता–बढ़ता रहेगा।

2. नीलामी स्थल का आवंटन विपणन समिति द्वारा किया जाएगा। विपणन समिति संबंधित व्यापारी संघ के अध्यक्ष/सचिव से विचार विमर्श करेगी लेकिन अंतिम निर्णय विपणन समिति का होगा। विपणन समिति व्यापारी संघ से सुझाव लेगी लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होगा।

3. नीलामी क्षेत्र को निर्धारण तीन साल में जमा की गई मार्किट फीस के औसत के आधार पर किया जाएगा। फड़ के लोकेशन के विवाद की स्थिति में समान मार्किट फीस वाले व्यपारियों के नीलामी स्थल का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

4. सक्षम व्यापारियों के व्यक्तिगत नीलामी स्थल का निर्धारण उनके द्वारा जमा की गई मार्किटफीस के आधार पर की जाएगी अर्थात् जिनका मार्किट फीस ज्यादा होगा उनको ज्यादा क्षेत्र स्थल दिया जाएगा और जिनका कम होगा उनको कम नीलामी स्थल दिया जाएगा।

5. यदि लाईसेंसधारी आवंटित स्थल पर कार्य करते नहीं पाए जाएगें, तो उनका आवंटन रद्द किया जाएगा।

6. जो लाईसेन्सी अपने नीलामी–स्थलों का गलत इस्तेमाल करते हैं जैसे किराये पर देना, लाईसैंस दूसरे को दे देना, माशाखोरी करवाना, री–पैकिंग करवाना आदि इत्यादि के नीलामी–स्थलों को आवंटन रद्द किया जाएगा।

[illegible] को सूचित कर आपसी सहमति से आवंटी अपनी जगह बदल [illegible]
[illegible]

437/c

8. भविष्य में किसी भी लाईसैंसी को अकेले जगह का आवंटन नहीं किया जाएगा। आवंटन की प्रक्रिया सामूहिक स्तर पर की जाएगी न कि व्यक्तिगत स्तर पर।

9. डी.डी.ए. द्वारा प्रस्तावित पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग हेतु ही किया जाएगा जिससे मण्ड़ी का यातायात सुचारू रूप से चल सके। D- Block amended.

10. लाईसैंस धारी द्वारा मार्किट फीस का सामूहिक विवरण पारीवारिक आधार पर या पार्टनरशिप के आधार पर ही दिया जा सकता है।

11. आवंटी के लिए लाईसैंस की शर्तें एवं नियम बाध्यकारी होगी।

12. प्रत्येक फल एवं सब्जी के आंबंटन के नीलामी स्थल की अधिकतम सीमा उनके मार्किट फीस के आधार पर निर्धारित होगी।

13. आवंटन से असंतुष्ट लाईसैंसी आवंटन के 30 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति ए.पी.एम.सी में लिखित रूप में दे सकते हैं।

21/08/15

उप–सचिव (ई.एम.)

संख्या: एफ. 1108 / एपीएमसी / ई.एम. / 10 / 538 दिनांक 21/08/2015

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, एपीएमसी (एम.एन.आई.) आजादपुर। 25/8/15
2. निजी सहायक, सचिव, एपीएमसी (एम.एन.आई.) आजादपुर।
3. अध्यक्ष एवं मैम्बर्स, अलाटमेन्ट–सब–कमेटी, एपीएमसी, आजादपुर।